UPMP010026692026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06134**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 939/2026

अनिल कुमार पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट पुडरी थाना एलाऊ जिला मैनपुरी।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से परिवाद सं० 2323/2023 अभियोग अपराध अंतर्गत औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की धारा 18(c), 18(B) सपठित नियम 65 के अंतर्गत दण्डनीय धारा 27 (b) (ii) एवं 28A थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के अपराध में जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी/औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल द्वारा इस आशय का परिवाद दाखिल किया गया है कि "प्राप्त शिकायती पत्र दि० शून्य कार्यालय में प्राप्त दि० 25/09/2020 एवं सहायक आयुक्त (औषधि) आगरा मण्डल आगरा के पुष्ठांकन दि० 29/09/2020 की जाँच हेतु दि० 06/10/2020 की वादिनी के कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में उपलब्ध वाहन सख्या UP84T5952 व कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम कुमार के साथ शिकायत में अंकित स्थान रानीपुर चौराहा ग्राम पुंडरी तहसील भोगोंव थाना एलाऊ में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे जहाँ कोई बोर्ड आदि नही लगा था। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से उसका नाम पुछने पर अनिल कुमार पुत्र श्री भजनलाल नि० ग्रा० व पो० पुड़री तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी बताया। अपना व अपने हमराह का परिचय देते हुये आपस में जामा तलाशी ली गयी तथा भण्डारित औषधियों के क्रय बिल मांगे जाने पर अनिल कुमार ने कुछ एस्टीमेट प्रस्तुत किये। अभिलेखो में बिल फर्म मै० एस नाथ गुप्ता जनपद मैनपुरी से दिनांकित 17/08/2020 एवं 18/08/2020 के क्रय बिल प्रस्तुत किये गये द्वारा जारी किया जाना बताया गया जो कि अभिलेखो मे सम्मलित है, जो कि दीपक मेडिकल स्टोर ग्रा० पुडरी मैनपुरी नगला के नाम से जारी किये गये थे। जिन्हे अभियुक्त संख्या 1 में फर्म मैसर्स एस०नाथ गुप्ता एण्ड कम्पनी के द्वारा जारी किया जाना बताया गया है। भण्डारित औषधियों के क्रय के संबंध में उपस्थित व्यक्ति अनिल कुमार ने मौके पर लिखित बयान प्रस्तुत किया। भण्डारित औषधियों को प्रपत्र 16 पर 1 से लेकर 21 तक अंकित कर एक गत्ते के डिब्बे में रख कर सील सर्वे मोहर किया गया। उक्त औषधियों में से कुल 8 नमूने (जिसमे 6 नमूने औषधि एवं 2 नमूने सौन्दर्य प्रसाधन) लिये गये। भीड़ बढ़ने के कारण थाना एलाऊ से पुलिस बल की मांग मेरे द्वारा की गयी, तब मौके पर सी–572 अरूण कुमार एवं सी–590 श्री हरवेन्द्र सिंह उपस्थित हुये व गवाह के रूप में शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रहमानन्द नि० पुड़री थाना एलाऊ भी उपस्थित हुये। मौके पर लिये गये नमूनों को अंकित कर जॉच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किया गया। तैयार किये प्रपत्र 16. 17 एवं 17 ए पर गवाह ने हस्ताक्षर किये व प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये अभियुक्त सं० 1 अनिल कुमार चतुर्थ श्रेणी श्री राम कुमार को धक्का देकर वहा से भाग गये। उक्त नमूनों का मूल्य 900/– अभियुक्त सं० 1 के द्वारा नहीं लिया गया। नमूनों का विवरण प्रपत्र 18 पर पृथक–पृथक अंकित कर जॉच एवं विश्लेषण हेतु राजकीय विश्लेषक (उ०प्र०) लखनऊ को प्रेषित किये

गये। समस्त प्रपत्रों की एक प्रति नमूना भाग के साथ अभियुक्त सं० 1 को प्राप्त कराये गये। जो कि मौके पर प्रस्तुत हो गये थे एवं स्थानीय निरीक्षण आख्या पर पुलिस बल शिकायतकर्ता ने गवाह के रूप में एवं अभियुक्त सं० 1 की उसकी अनुपस्थिति में की गई अवशेष कार्यवाही से अवगत कराते हुये हस्ताक्षर किये। सील गयी औषधियों को दि० 07/10/2020 प्रार्थना पत्र के साथ अभिरक्षा मे लिये जाने हेतु जनपद मैनपुरी के माननीय न्यायालय मुख्य दण्डाधिकारी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः सील कर कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में रखने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। परिवाद पत्र में उल्लेखित औषधियों के पैरा सं० 6 में क्रम स० 6 **Betabex Tab GT 18–82 M/D 01/2019 D/E 12/2020 M/S Jocound India Ltd Plot 27–30 Sec 6A Ranipur** की जाँच आख्या दि० 02/12/2020 को प्राप्त हुई जिसके द्वारा राजकीय विश्लेषक उ०प्र० ने अपनी रिपोर्ट सं०वी/2619–2020 दि० 20/11/2020 के द्वारा निम्न कारण से अधोमानक घोषित किया गया। "The Sample does not conform to IP in respect of description". नियमानुसार जाँच आख्या की एक प्रति नोटिस सं० एफ.एस.डी.ए./अधो एवं मिथ्या/2020–21–370–3 दि० 02/12/2020 के साथ अभियुक्त संख्या० 1 को प्रेषित की गयी जिसका कोई उत्तर अभियुक्त सं० 1 के द्वारा नही दिया गया। इसके अतिरिक्त सं० 6 में क्रम सं. 4 में लिये गये नमूना Moxyclo Drops AS 9042 M/D 9/19 D/E 8.2021 M/s Anrose Pharma 147 Mauza Sansi wala Barotiwala की जाँच आख्या दि० 09/12/2020 को प्राप्त हुई जिसके द्वारा राजकीय विश्लेषक उ०प्र० ने अपनी रिपोर्ट सं० वी/2617–2020 दि० 30/11/2020 के द्वारा निम्न कारण से अधोमानक घोषित किया गया। "The Sample does not conform to IP in respect of Content of Amoxycillin". नियमानुसार जाँच आख्या की एक प्रति नोटिस सं० एफ.एस.डी.ए./ अधो एवं मिथ्या/2020–21 – 400 दि0 17/12/2020 के साथ अभियुक्त सख्या 1 को प्रेषित की गयी जिसका उत्तर अभियुक्त सं० 1 के द्वारा उक्त औषधि को फर्म मै० एस नाथ गुप्ता एवं जैन मेडिको एजेंसी से क्रय होना दर्शाया गया। दिनांक 10/03/2021 के पत्र संख्या औ.नि/छापा/505 के द्वारा अभियुक्त संख्या 1 उनके प्रेषित उत्तर के क्रम में दोनो फर्मों (जैन मेडीको ऐजेन्सी एवं एस०नाथ गुप्ता एण्ड कम्पनी) क्रय की गई औषधियो की पृथक प्रथक सूची उपलब्ध कराने हेतु निदेर्शित किया गया जिसका कोई उत्तर अभियुक्त संख्या 01 के द्वारा नही दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अभियुक्त नं० – 1 अनिल कुमार पुत्र श्री भजनलाल, ग्राम एवं पोस्ट पुड़री, जनपद मैनपुरी जागीर, द्वारा भजन मेडिकल स्टोर, रानीपुर चौराहा पुडरी तहसील भोगांव थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी के नाम से जानबूझकर वैध औषधि लाईसेंसी फर्म का प्रतिरूपण कर कूटरचित तरीके से औषधियों के क्रय विक्रय के व्यापार का संचालन किया गया जो औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की धारा 18(c) का उल्लंघन है एवं औषधि निरीक्षण द्वारा मांगे गये अभिलेख न प्रस्तुत कर 18 (B) का उल्लंघन किया है जो धारा 27 (b) (ii) एवं 28 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त को माननीय न्यायालय में वैधानिक रूप से तलब करते हुए उक्त धाराओं या माननीय न्यायालय जो धाराएँ उचित समझे में वाद परीक्षण कर अभियुक्त को दण्डित करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये तर्क दिया गया है कि उसे उपरोक्त परिवाद में गलत तथ्यों के आधार पर गाँव की पार्टीबन्दी, रंजिश व दुर्भावना से झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ उपरोक्त परिवाद में जो आरोप लगाये गये है वे निराधार है, उसका आरोपों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका फर्म मैसर्स भजन मैडिकल स्टोर पुडरी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है वह उपरोक्त फर्म का कभी प्रोपराइट संचालक नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि भूपेन्द्र सिहं पुत्र बृम्हानन्द निवासी पुडरी जोकि प्रार्थी के गाँव के है उक्त भूपेन्द्र सिहं का दीपक मेडीकल स्टोर नगला बलसिहं कुसमरा में है वे ही अपना दूसरा मेडीकल स्टोर भजन मैडीकल स्टोर के नाम से पुड़री पर चलाते थे तथा प्रार्थी को काम देखने के लिये प्रतिमाह वेतन देते थे। उसे कोई जानकारी नही थी कि वे दवाइयाँ कहाँ से और किससे खरीदते है। वह गाँव के नाते विश्वास के कारण काम

देखता था। चैकिंग के दौरान जब उक्त मैडीकल स्टोर से माल पकडा गया तो भूपेन्द्र सिहं ने अपने को बचाने के लिये उसके खिलाफ झूठी कार्यवाही करवा दी। उससे चैकिंग के समय कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा था तो प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर दिये थे प्रार्थी को उस समय अन्य कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। उक्त केस में प्रार्थी को जब माननीय न्यायालय द्वारा जारी जमानती वारन्ट भेजा गया तो मामले की जानकारी हुई। उसका उक्त मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है वह सम्भ्रान्त नागरिक है तथा वर्तमान में शौर्य मैडीकल स्टोर पुडरी जिला मैनपुरी का वैध फुटकर संचालक हैं उसका लाइसेन्स यू०पी० 84200000919 है जो दिनांक 30–03–2024 से दिनांक 29–03–2029 तक प्रभावी है जिसका प्रार्थी विधिवत संचालन करता है। उसने ड्रग्स एण्ड कॉसमैटिक एक्ट की किसी धारा का दुरूपयोग नहीं किया है अगर प्रार्थी का उक्त मामले में कोई हाथ होता तो उसके नाम मैडीकल का विधिक लाइसेन्स जारी कैसे हो सकता था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके खिलाफ माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारन्ट जारी हो चुका है इसलिये प्रार्थी को गिरफ्तारी की पूरी सम्भावना है। उसको अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3.1. उक्त तर्को के समर्थन में अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय कृष्णा बनाम उ.प्र. राज्य व तीन अन्य, Criminal Misc. Anticipatory Bail Application U/S 438 CR.P.C. NO.– 1135 of 2024, Neutral Citation No. 2024: AHC: 85825 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत विधि निर्णय का सादर अवलोकन किया।

5.1. अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि अभियुक्त अनिल कुमार जिसे भजन मेडिकल स्टोर, रानीपुर चौराहा पुडरी तहसील भोगांव थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी का संचालक होना बताया गया है, के द्वारा जानबूझकर वैध औषधि लाईसेंसी फर्म का अवैध प्रतिरूपण कर उक्त मेडीकल स्टोर का फर्जी संचालन करना तथा कूटरचित तरीके से औषधियों के क्रय विक्रय का व्यापार करना बताया गया है। अभियुक्त के उक्त कथित मेडीकल स्टोर से कुल आठ नमूना लेना बताये गये है जो परिवाद पत्र में वर्णित है जिनमें दो नमूने **Betabex Tab GT 18–82 M/D 01/2019 D/E 12/2020 M/S Jocound India Ltd Plot 27–30 Sec 6A Ranipur** व **Moxyclo Drops AS 9042 M/D 9/19 D/E 8.2021 M/s Anrose Pharma 147 Mauza Sansi wala Barotiwala** दौरान जांच अधोमानक स्तर के पाये गये है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा औषधियों से संबंधित अभिलेख भी परिवादिनी के समक्ष प्रस्तुत न करना बताते हुये उसके उपरोक्त कृत्यों के आधार पर उसे परिवाद में तलब किया जाना बताया गया है।

5.2. अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुये अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया है। अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण उसके विरूद्ध जमानती वारण्ट (मुव० 10,000/–) जारी किये गये। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण परिवाद पर संस्थित हुआ है। अत: बिना न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कोई आंशका नहीं है। अग्रिम जमानत के संदर्भ में विधि व्यवस्था **गुरूबक्स सिंह सीबिया बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट–1632** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग विशेष व असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

अग्रिम जमानत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित अद्यतन विधि व्यवस्था आशीष कुमार बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य का सादर अवलोकन किया। अद्यतन विधि व्यवस्था **आशीष कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, इलाहाबाद उच्च न्यायायल 2025 ए.एच.सी 128977 दिनांकित 01.08.2025** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा धारा 482 बी.एऩ.एन.एस के प्रावधान का उल्लेख करते हुए यह उल्लेखित किया गया है कि Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and sub section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. The main ingredients of Section 482 BN.S.S. are as follows–(a) Reason to believe that a person may be arrested. (b) on the accusation of having committed a non–bailable offence.(c) Upon arrest without a warrant by a police officer on such accusation, he shall be released on his readiness to give bail.

इस प्रकार अग्रिम जमानत के लिये यह आवश्यक है कि यह विश्वास करने का कारण होना चाहिये कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा गैर जमानतीय अपराध कारित किया जाना भी आवश्यक है। विश्वास करने का कारण का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपोरक्त निर्णय की पैरा 29 में यह अवधारित किया गया है कि "reason to believe"– A person is said to have "reason to believe" a thing, if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise; The words "reason to believe" have been considered by the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Shri Gurbaksh Singh Sibbia and others Vs. State of Punjab, (1980) 2 SCC 565.**

5.3. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद पत्र प्रेषित होने के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु आदेशिकाएं जारी की गयी है। उसके बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही हो रहा है जिसके कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु बाध्यकारी आदेशिकाएं जारी किये जाने का आदेश जारी किया गया है। परिवाद पर अभियुक्त को बिना न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही गिरफ्तारी की कोई युक्तियुक्त आंशका है। अत: मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से परिवाद सं० 2323/2023 अभियोग अपराध अंतर्गत औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की धारा 18(c), 18(B) सपठित नियम 65 के अंतर्गत दण्डनीय धारा 27 (b) (ii) एवं 28A थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के अपराध में जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 01.07.2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.07.04 14:59:57 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01 ,मैनपुरी।